



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP46238101176952W


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

812

Videsh Kumar Katiyar  
STAMP VISOR  
ACC No.-UP14131204  
Mob. No. 98280 98883  
COURT COMPOUND KANPUR

Certificate No. : IN-UP46238101176952W  
 Certificate Issued Date : 27-Jan-2024 02:15 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14131204/ KANPUR SADAR/ UP-KNP  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1413120488542917519575W  
 Purchased by : VAISHNAVI RAJ SHIKSHA PRASAR SAMITI THROUGH SACHIV  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : A HOUSE SITUATED AT ARAZI NO-706 MAUJA SEN PASHCHIM PARA KANPUR NAGAR  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SMT VANDANA SINGH ANDDEV RAJ SINGH  
 Second Party : VAISHNAVI RAJ SHIKSHA PRASAR SAMITI THROUGH SACHIV  
 Stamp Duty Paid By : VAISHNAVI RAJ SHIKSHA PRASAR SAMITI THROUGH SACHIV  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,900  
 (Two Thousand Nine Hundred only)




MP  
लोक किया गया  
बन्धन निबन्धक तृतीय  
रकम नगर


Please write or type below this line



*Vandana Singh*



*Sachiv*



INDIA 0017120011



Scanned with OKEN Scanner

श्री गणेशायः नमः

कार्यालय का नाम : उपनिबन्धक जोन-III कानपुर नगर

- 1 प्रस्तुत दिनांक : 27-01-2024
- 2 निष्पादन दिनांक : 27-01-2024
- 3 प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता : (1) श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री देवराज सिंह निवासिनी मकान नम्बर-128/757, वाई-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।  
(2) देवराज सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह निवासिनी मकान नम्बर-128/757, वाई-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।
- 4 लेखपत्र का प्रकार : पट्टा विलेख
- 5 किराया प्रतिमाह : 1,000/-रूपया
- 6 निर्धारित अवधि किरायेदारी : 30 वर्ष
- 7 स्टाम्प देयता हेतु 6 वर्ष का कुल किराया : 72,000/-रूपया
- 8 मकान मालिक का नाम व पता : (1) श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री देवराज सिंह निवासिनी मकान नम्बर-128/757, वाई-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।  
1-मो0नं0-9129896706  
आधार-XXXX XXXX 3824  
पैन-BBZPS6892M  
(2) देवराज सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह निवासिनी मकान नम्बर-128/757, वाई-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।  
2-मो0नं0-8318338682  
आधार-XXXX XXXX 7745  
पैन-AZKPS1890B
- 9 किरायेदार का नाम व पता : वैष्णवी राज शिक्षा प्रसार समिति पता-श्री मो0नं0-8755925979 हरी विष्णुपुरम् महेरा फाटक, आधार-XXXX XXXX 3000

*(Signature)*



*(Signature)*



*(Signature)*



पैन-BOQPC1144G

एफ0सी0आई0 गोदाम, इटावा, उ0प्र0 द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्रीमती जूही चौहान पत्नी श्री अभिषेक प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-उदी, जिला इटावा, उ0प्र0।

10 सम्पत्ति किरायेदारी का विवरण :

1. स्थान : ग्राम सेन पश्चिम पारा, तहसील व जिला कानपुर नगर।
2. आराजी/भवन संख्या : आराजी संख्या-706 कुल क्षेत्रफल 0.5830 हेक्टेयर यानि 5830 वर्गमीटर स्थित ग्राम सेन पश्चिम पारा, तहसील व जिला कानपुर नगर पर निर्मित भवन
3. सीमाओं का विवरण
  - पूरब : नाली व सीमा सेन पूरब पारा
  - पश्चिम : चकरोड व आराजी संख्या-710
  - उत्तर : जुज भाग आराजी
  - दक्षिण : चकरोड
4. स्टाम्प अदायगी का विवरण :
  1. स्टाम्प देयता हेतु 6 वर्ष का : 72,000/-रूपया  
कुल किराया
  2. निर्धारित देय स्टाम्प शुल्क : 2,880/-रूपया  
4 प्रतिशत

*Bandar Singh*



3. E-STAMP CERTIFICATE : 2,900 /—रूपया  
 NO. IN-UP46238101176952W  
 DATED-27-JAN-2024 द्वारा  
 कुल दिया गया स्टाम्प

हम—कि (1) श्रीमती वन्दना सिंह पत्नी श्री देवराज सिंह निवासिनी मकान नम्बर—128/757, वाई—ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर व (2) देवराज सिंह पुत्र श्री जगराम सिंह निवासिनी मकान नम्बर—128/757, वाई—ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।


.....प्रथमपक्ष / मकान मालिक


एवम्

वैष्णवी राज शिक्षा प्रसार समिति पता—श्री हरी विष्णुपुरम् महेरा फाटक, एफ0सी0आई0 गोदाम, इटावा, उ0प्र0 द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्रीमती जूही चौहान पत्नी श्री अभिषेक प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट—उदी, जिला इटावा, उ0प्र0।

.....द्वितीयपक्ष / किरायेदार


विदित हो कि प्रथमपक्ष आराजी संख्या—706 कुल क्षेत्रफल 0.5830 हेक्टेयर यानि 5830 वर्गमीटर स्थित ग्राम सेन पश्चिम पारा, तहसील व जिला कानपुर नगर पर निर्मित भवन के संयुक्त मालिक, काबिज व स्वामी है। उक्त सम्पत्ति प्रथमपक्ष ने जरिये 2 किता बयनामा द्वारा खरीद किया है, जिसकी रजिस्ट्री क्रमशः बही संख्या—1 जिल्द संख्या—14171 के पृष्ठ संख्या—149 से 170 पर क्रम संख्या—9833 पर दिनांक—22/08/2022 को व बही संख्या—1 जिल्द संख्या—14574 के पृष्ठ संख्या—279 से 296 पर क्रम संख्या—2060 पर दिनांक—02/03/2023 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जोन—4, कानपुर गर में दर्ज है।














यह भी विदित हो कि द्वितीयपक्ष वैष्णवी राज शिक्षा प्रसार समिति शैक्षिक संस्था है, तथा श्रीमती जूही चौहान उपरोक्त शैक्षिक संस्था की प्रबन्धक/सचिव हैं। उपरोक्त भवन को द्वितीयपक्ष शैक्षिक संस्था के उद्देश्यों के अनुपालनार्थ शिक्षा के प्रचार प्रसार व संचालन हेतु किराये पर ले रही है, जिसकी बावत दोनों पक्षों के मध्य निम्न शर्तें तय पाई गयी है:-

1. यह कि द्वितीयपक्ष, ने प्रथमपक्ष के आराजी संख्या-706 कुल क्षेत्रफल 0.5830 हेक्टेयर यानि 5830 वर्गमीटर स्थित ग्राम सेन पश्चिम पारा, तहसील व जिला कानपुर नगर पर निर्मित भवन को दिनांक-27/01/2024 से किराये पर लिया है, जिसका किराया 1,000/-रूपया प्रतिमाह है, जो कि द्वितीयपक्ष प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रथमपक्ष को अदा करेगी।
2. यह कि भवन उपरोक्त की किरायेदारी दिनांक 27/01/2024 से प्रारम्भ होकर अगले 30 वर्ष अर्थात् 26/01/2054 तक के लिये मान्य होगी, इस प्रकार उक्त भवन की किरायेदारी प्रत्येक माह की 27 तारीख को शुरू होकर अगले माह की 26 तारीख को समाप्त होगी। उक्त 30 वर्ष की अवधि बीतने पर किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जायेगी।
3. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भवन में विद्यालय संचालन करेगा, तथा भवन को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। क्षतिग्रस्त व टूट फूट होने की दशा में मरम्मत आदि में जो भी व्यय होगा, वह द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेगा।
4. यह कि द्वितीयपक्ष को उक्त किरायेदारी वाले भाग को शिकमी किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा और 30 वर्ष बाद द्वितीयपक्ष जब किरायेदारी वाले भाग को खाली करेगा, तो उक्त किरायेदारी वाले


भाग का खाली कब्जा व दखल केवल प्रथमपक्ष/मकान मालिक को प्रदान करेगा।

5. यह कि उभयपक्षों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, कानपुर होगा।
6. यह कि प्रथमपक्ष/मकान मालिक ने उपरोक्त भवन का कब्जा व दखल दिनांक 27/01/2024 को किरायेदार को प्रदान कर दिया है, किरायेदार/द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह किरायेदारी वाले उपरोक्त भाग को विद्यालय संचालन हेतु उपयोग व इस्तेमाल में लावे व शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु विद्यालय का संचालन करें।
7. यह कि द्वितीयपक्ष/किरायेदार, उपरोक्त भवन का प्रयोग विद्यालय संचालन के लिये ही करेगा। अन्य किसी कार्य के लिये प्रयोग में नहीं लायेगा।
8. यह कि इकरारनामा किरायेदारी की शर्तों की पाबन्दी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व दोनों के वारिसान पर भी लागू, लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे।

अतः हम दोनों पक्षों ने अपने स्वस्थ मन बुद्धि एवं इन्द्रियों की सही अवस्था खूब सोच समझकर बिना दबाव नाजायज के खूब पढ़ सुनकर तथा साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर यह किराया अनुबन्ध पत्र तहरीर व तकमील कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।


*Pandana Singh*



*Adh*



*Shubh*



गवाहान —

1.

अभिषेक प्रताप सिंह  
पुत्र बृजेन्द्र सिंह चौहान  
नि०—ग्राम व पोस्ट—उदी  
जिला इटावा  
मो०नं०—8077539938  
आधार—XXXX XXXX 6423



Abhishek Pratap Singh

प्रथमपक्ष / मकान मालिक

Jandansingh



2

सुनील कुमार सिंह  
पुत्र स्व० महाराज प्रसाद सिंह  
नि०—271 / ए-1, विराट  
नगर, अहिरवाँ, कानपुर नगर  
मो०नं०—9838533530  
आधार—XXXX XXXX 9318



द्वितीयपक्ष / किरायेदार

Sunil



ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड  
टाइपड बाई माइस्टेनो  
Sunil Kumar Singh

सुनील कुमार सिंह 27/1/24

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर